न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 06/2018

1 बृजमोहन पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी ग्राम बैरास तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 मुंगी पत्नी मनीराम।
2 सरोज पत्नी सुभाष।
3 जयप्रकाश पुत्र सुभाष।
4 हितेश पुत्र सुभाष।
5 राजबाला पुत्र सुभाष।
6 करणाराम पुत्र आशाराम।
7 रिछपाल दत्तक पुत्र चन्द्रसिंह।
8 सत्यवती उर्फ सरस्वती पत्नी शिवलाल सिंह।
9 श्रीकृष्ण पुत्र शिवलाल।
10 रामकृष्ण पुत्र शिवलाल।
11 मोहन पुत्र बेगा।
12 अर्जुन पुत्र ईशरा।
13 नारू पुत्र ईशरा समस्त जाति जाट निवासीगण बैरास तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
14 तहसीलदार भूधारक राज्य सरकार लक्ष्मणगढ़।
15 शाखा प्रबन्धक शेखावाटी बैंक बलांरा तहसील लक्ष्मणगढ़।

रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व निर्णय एवं डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ पीठासीन अधिकारी श्री महावीर प्रसाद नायक आर.ए.एस वाद संख्या 43/2014 बउनवानी बृजमोहन बनाम मूंगी वगैरह दिनांकित 10.06.2015

उपस्थिति :

1. श्री सोहनलाल चौधरी, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री राजकुमार राड़, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः— 31.08.2021

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 43/2014 में पारित निर्णय दिनांक 10.06.2015 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी अपीलांट ने प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध भूमि खसरा नम्बर 56,133,134,135 वाके ग्राम बैरास पटवारी दिसनाऊ तहसील लक्षमणगढ़ बाबत विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से अंतिम डिक्री पारित की है। इससे व्यथित होकर वादी अपीलांट की ओर से यह अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि प्रस्तुत प्रकरण विचारण न्यायालय के समक्ष विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया गया था। विचारण न्यायालय ने प्रस्तुत प्रकरण में प्राथमिक डिक्री जारी किये बिना ही विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर उभयपक्ष को सूचित किये बिना दिनांक 10.06.2015 को कैम्प कोर्ट दिसनाऊ में पत्रावली को रखकर वादी व प्रतिवादी को आदेशिका में अनुपस्थित अंकित कर विचाराधीन निर्णय व डिक्री जारी की है। विचारण न्यायालय की यह कार्यवाही विधि के प्रावधानों की विपरित है। जानकारी से अंदर मियाद धारा 5 के आवेदन के साथ अपील प्रस्तुत है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि वादी अपीलांट की सहमति से ही विचारण न्यायालय ने विभाजन प्रस्ताव मंगवाये थे। सहमति से विभाजन प्रस्ताव मंगवाना प्राथमिक डिक्री की श्रेणी में आता है। अपीलांट की अपील मियाद बाहर है। विचाराधीन निर्णय व डिक्री का रिकार्ड में अमल हो चुका है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपीलांट की अपील प्रकरण को लम्बित करने के उद्देश्य से प्रस्तुत की गई है। जो स्वीकार योग्य नहीं है। अपील खारिज कि जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। विचारण न्यायालय ने अपीलांट वादी है, विचारण न्यायालय ने वादी को अनुपस्थित दिखाकर विचाराधीन निर्णय पारित किया गया है। इससे स्पष्ट है कि विचाराधीन निर्णय की जानकारी अपीलांट को नहीं थी। अतः न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कन्डोन किया जाता है।

यहां यह भी विचारणीय है कि प्रस्तुत प्रकरण विचारण न्यायालय के समक्ष विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया गया था। विचारण न्यायालय ने प्रस्तुत प्रकरण में प्राथमिक डिक्री जारी किये बिना ही विभाजन

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

प्रस्ताव प्राप्त कर उभयपक्ष को सूचित किये बिना दिनांक 10.06.2015 को कैम्प कोर्ट दिसनाऊ में पत्रावली को रखकर वादी व प्रतिवादी को आदेशिका में अनुपस्थित अंकित कर विचाराधीन निर्णय व डिक्री जारी की है। विचारण न्यायालय की यह कार्यवाही विधि के प्रावधानों की विपरित है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

यहां यह भी विचारणीय है कि विचारण न्यायालय में वादी अपीलांट का वाद कथन रहा है कि खसरा नम्बर 133 में से प्रतिवादी संख्या 6 व 7 ने अपना हिस्सा वादी को विक्रय कर दिया। इसी प्रकार खसरा नम्बर 134 में से प्रतिवादी संख्या 6 व 7 ने अपना सम्पूर्ण हिस्सा वादी का विक्रय कर दिया। विचारण न्यायालय ने इस बिन्दु पर कोई विवेचन किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित किया है। जिसे विधि सम्मत नही माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में वादी के वाद कथन के उपरोक्त विवेचित तथ्यों की जांच कर बाद सुनवाई विधि अनुसार प्राथमिक डिक्री जारी करें। तदुपरांत विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर उभयपक्ष को सुनकर प्रकरण में पुनः गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.09.2021 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 21.08.21 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर